संख्या-249/सैतीस-2-2019-5(2)/2018टीसी

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सम्बन्धित जिलाधिकारी (68 जनपद),
उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनाँक- 27 जनवरी, 2019

विषयः- **बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष 68 जनपदों में वृहद गो संरक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-2324(2)/सैतीस-2-2018-5(2)/2018, दिनांक-28.06.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष 68 जनपदों में वृहद गो संरक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों के लिए ''उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड)'' को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में आया है कि प्रकरण में नामित कार्यदायी संस्था समय से कार्य पूर्ण नहीं कर पा रही है, जिसके कारण प्रदेश के निराश्रित/बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। अतएव प्रकरण की संवेदनशीलता के दृष्टिगत उपरोक्त शासनादेश दिनांक-28.06.2018 द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष 68 जनपदों में वृहद गो संरक्षण केन्द्रों के निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था ''उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड)'' के स्थान पर प्रदेश के 68 जनपदों में एक-एक वृहद गो संरक्षण केन्द्रों की स्थापना किये जाने के लिए नियमानुसार किसी अन्य सक्षम राजकीय निर्माण एजेन्सी का चयन करते हुए उक्त कार्य को शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण कराये जाने हेतु संबंधित जिलाधिकारियों को अधिकृत किया जाता है।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिलाधिकारियों द्वारा ऐसी कार्यदायी संस्था नामित/चयनित की जाय जिसकी कार्य दक्षतापूर्वक करने की क्षमता (पर्याप्त मानव संसाधन) हो, जिसकी साख अच्छी हो। नामित कार्यदायी संस्था की आम ख्याति अच्छी हो ताकि समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापरक निर्माण कार्य पूर्ण हो सके। ऐसी कार्यदायी संस्था नामित/चयनित करने व समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक निर्माण कार्य पूर्ण कराने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी का होगा।

4- कृपया उपरोक्त प्रस्तर-2 एवं 3 के अनुसार 68 जनपदों में वृहद गो संरक्षण केन्द्रों की स्थापना कराये जाने की कार्यवाही/अनुश्रवण तत्काल सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

27.1.19

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-249(1)/सैतीस-2-2019- तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।